आरटीई के तहत निशुल्क दाखिले के लिए सिर्फ दो दिन का मौका

लखनऊ (ब्यूरो)। दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निशुल्क दाखिले की राह और मुश्किल होने वाली है। शिक्षा विभाग ने आरटीई के अनुसार निशुल्क दाखिले के लिए केवल दो दिन का समय दिया है। अभिभावकों को निजी स्कूल की 25 फीसदी सीट पर दाखिले के लिए 28 फरवरी तक आवेदन करना है। इन्हीं दो दिनों में अभिभावक को निवास और आय प्रमाणपत्र जैसे कई दस्तावेज भी बनवाने हैं। मौजूदा सरकारी तंत्र में यह काम लगभग नामुमकिन है। ऐसे में गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूल की राह इस साल भी आसान नहीं दिख रही।

आरटीई एक्ट-2009 के अनुसार हर बच्चे को आठवीं तक की मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। निजी स्कूलों को भी आठवीं तक 25 फीसदी सीट पर 'पड़ोस' के गरीब बच्चों को निशुल्क दाखिला देना है। फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को करनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से केवल अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे छूट मिली हुई है। मगर, इसके लिए जारी शासनादेश में आरटीई के मंशा के वितरीत सभी स्कूलों के बजाय सिर्फ शहरी क्षेत्र के उन वार्ड के गरीब बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला देने की व्यवस्था की गई जहां सरकारी स्कूल नहीं है।

नए शासनादेश के अनुसार 28 फरवरी तक निशुल्क दाखिले के लिए अभिभावकों को आवेदन करना है। सात मार्च तक आवेदन की जांच करने के बाद अनुमति के लिए इसे जिलाधिकारी के पास रखा जाएगा। इससे एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र से पहले दाखिले हो सकेंगे।

-प्रवीण मणि त्रिपाठी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी